भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/दिल्ली/04/02/2017/एफ.सी /832

दिनॉक: 19-2-18

सेवा में,

प्रमुख सचिव (पर्या0 एवं वन)
दिल्ली राज्य सरकार,
छठवा स्तर, सी–अनुभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 इस्टेट,
नई दिल्ली–110002

Online Proposal No: FP/DL/TRANS/23972/2017

विषय: **LILO of 220 KV BTPS- Mehrauli TL at Tuglakabad & 220 KV Okhla- Tuglakabad TL- reg.**

सन्दर्भ: अति0 प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव विभाग, दिल्ली का पत्रांक– 11(26)/पीए/डीसीएफ/95/आरएमबी/पार्ट–8/8461–63, दिनांक– 09.02.2018 एवं 11(26)/पीए/डीसीएफ/95/आरएमबी/पार्ट–8/8618–20, दिनांक– 15.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण को दिनांक– 28.12.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 23.14-UP) शामिल किया गया था जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी अनुपालना अति0 प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव विभाग, दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

अतः केन्द्र सरकार विषयांकित पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 6.944 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 213 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 6.944 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

   (ख) उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु, पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं एवं एन0पी0वी0 की जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वैकल्पिक संरेखण की kml files उपलब्ध करायी जाएगी।

6. चूंकि उक्त पारेषण लाईन अशोला भट्टी वन्य जीव अभ्यरण के Eco-sencitive Zone से जा रही है। अतः राज्य मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रेषित की जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

10- User agency shall deposit 5% of project cost with the RMB Fund on the lines of condition imposed by Hon'ble Supreme Court of India in IA No. 1868 in W.P. (Civil) No. 202/1995 for conservation and development of Delhi Ridge Area.

11- As mentioned in the report of CEC the user agency has agreed to limit the forest clearance to 3 meters on either side of the ROW, accordingly the felling of tree should be minimized. Thus the felling of trees and clearing of undergrowth along the ROW will be limited to 3 meters each on either side of the ROW solely for the purpose of stringing of wires.

12- Original SOI toposheet of proposed land to be diverted as well as CA land has to be submitted.

13. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र– 11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक– 28.08. 2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरानत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद् में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली—110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली—110003.
3. नोडल अधिकारी, दिल्ली राज्य सरकार, वन एवं वन्यजीव विभाग, ए—ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली—110002
4. प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिणी वन प्रभाग, वन विभाग, दिल्ली।
5. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 इण्डिया लि0, 765/400 के0वी0 झटिकरां सब स्टेशन, ग्राम— घुम्मानेहरा, दक्षिणी—पश्चिमी, दिल्ली—110073
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली

16/02/18

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक(के.)